

22 उभय पक्ष - की हाजरी है। तथा S/C दाखिल किया गया है।


S/C I

द्वितीय पक्ष - की हाजरी है।

अभिलेख उपस्थापित।

उभय पक्षों के दलील एवं काबजा-पुच्छ के अवलोकन से ज्ञात प्रति होता है कि वाद सक्षम न्यायालय से संबंधित है।

अतः वाद की कार्यवाही को समाप्त अ  
अभिलेख को बन्द किया जाता है।  
उपस्थापित।

  
अ. उ. ल. 3/0  
जिरीह।

  
अ. उ. ल. 3/0  
जिरीह।